**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1566**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**एलपीजी कनेक्शन से लाभान्वित आबादी**

**1566. डा॰ सत्यनारायण जटियाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अब तक कितनी आबादी को एलपीजी/रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और बची हुई आबादी को एलपीजी/रसोई गैस कनैक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे; और

(ख) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को उपलब्ध कराई गई सस्ती रसोई गैस के दाम क्या हैं और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के कारण क्या हैं तथा समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) एलपीजी कनेक्‍शनों को जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटरों को नए एलपीजी कनेक्‍शन के लिए किए गए किसी भी अनुरोध को तत्‍काल रजिस्‍टर करने के निर्देश दिए गए हैं। ओएमसीज पात्रता के अनुसार और आवश्‍यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद 7 कार्य दिवसों में कनेक्‍शन जारी करने का प्रयास करती हैं। दिनांक 01.02.2010 की स्थिति के अनुसार राष्‍ट्रीय एलपीजी कवरेज 97.3% है।

(ख) सरकार उपभोक्‍ताओं को आपूर्ति की जाने वाली घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्‍य को आवश्‍यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। घरेलू एलपीजी मूल्‍यों को पहल योजना के तहत मासिक एलपीजी राजसहायता में तदनुरूपी संशोधन के साथ एलपीजी के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍य के अनुसार प्रत्‍येक माह संशोधित किया जाता है। गैर-राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍य पर रीफिल खरीदने पर लागू राजसहायता लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाती है और राजसहायता का भार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

\*\*\*\*